



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-16.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधि० के अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-0052/2007 धारा 60 एक्स० एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दुलारे पुत्र मंगरु निवासी-करनाडाडी, रोहनिया थाना-रोहनिया, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 60 एक्स० एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि (04 दिन) के कारावास व 500/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी